

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

दिना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
२/२५	212 (2) RTA	घट्टा	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
भंवरलाल	बनाम	रामसुख	

वकील :- भंवर सिंह जादोन **आदेश पत्रक** वकील:-  
दिनांक कार्यवाही एवं आदेश

१-०१-२५ अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212(2) RTA विरुद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जर्ज्य सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक २१.०२.२५ को पेश हो।

२१-०२-२५ आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक १५/५/२५ को पेश हो।

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)

१५-०५-२५ आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक २२.०५.२५ को पेश हो।

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)

२७ ५/२५ आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक २३.०७.२५ को पेश हो।

रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)

२३-०७-२५ पत्रावली पेश है (वकील द्वारा) अप्रार्थीगण की ओर से श्री सोदेश कुमार गालव पत्रावली का नकारनामा पेश है जो २१०० मूल की पत्रावली किया गया। पत्रावली वाले जात दिनांक ११.०९.२५ को पेश हो।

११-०९-२५ आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक ३०.१०.२५ को पेश हो।


रीडर  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारां)

दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

2.10.24

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 3.1.24 .. को पेश हो।

  
रीडर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
छबड़ा (बारा)

12-24

~~पत्रावली पेश हुई व कुलाल करीकोठ उपर  
जवाब पेश कर दिया गया माह में  
पत्रावली का जवाब दिनांक 13.1.25 को  
पेश है~~

13.1.25

पत्रावली पेश हुई। कुलाल करीकोठ उपर वकील  
रुपाधी प्रकरण के आगे कोई कार्यवाही नहीं चलते  
है। प्रकरण के Not Press करना चाहते हैं। प्रकरण  
Not Press के खारिज किया जाता है। पत्रावली पेश  
शुभार दौकर संस्थित है।



Not Press  
